न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 46/2023

1 राजकुमार पुत्र जोखीराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते * सीकर *

अपीलांट

बनाम

1 दशरथ सिंह पुत्र श्री देशुसिंह
2 राजपाल सिंह पुत्र रोहिताश सिह
3 रतन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
4 रामवती स्त्री प्रहलाद सिंह
5 लीलू सिंह पुत्र भागीरथ
6 विक्रम सिंह पुत्र भागीरथ
समस्त जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
7 संदीप सिंह पुत्र दत्तक पुत्र रावत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
8 तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू।
9 सार्वाजनिक निर्माण विभाग बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.02.2023
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी दशरथ सिंह बनाम
रतन सिंह वगै. मु.नं. 275/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/721
दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. सुश्री ममता वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—17.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 275/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक पूर्व वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम रतन सिंह मु.नं. 30/2016 पेश किया जिसमें वाद पत्र की मद संख्या 13(1) में रिलीफ की मांग की ग्राम बुहाना स्थित जमीन गत खसरा नम्बर 611 व 612 व 631 से बने हाल खसरा नम्बर 1571, 1572, 1573, 1576 का नक्शा सन 1979—1980 के नक्शे को पुराना नक्शा सन 1936—1937 के अनुसार आकृति में बनाया जाकर नक्शे में बढ़ी हुई आकृति का खातेदार घोषित करते हुये नक्शा दुरूस्त किया जावें। मु.नं. 30/2016 दिनांक 03.05.2016 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *

रिमाण्ड कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 04.11.2016 को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः दर्ज किया गया। पुनः प्रकरण दर्ज होने के बाद दिनांक 27.09.2022 को अपीलान्ट ने मु.नं. 30/2016 में पक्षकार बनने के लिए आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने मु.नं. 30/2016 लम्बित रहने के दौरान उसी रिलीफ के बाबत एक अन्य वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम रतन सिंह दिनांक 11.10.2022 को पेश किया। दुसारा वाद पत्र मु.नं. 275/2022 पेश करने के बाद मु.नं. 3022016 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने जरिये वकील दिनांक 07.02.2023 को नोटप्रेस कर लिया एवं मु.नं. 275/2022 को पक्षकारान ने आपस में मिलकर दिनांक 07.02.2023 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा ली1 इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक पूर्व वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम रतन सिंह मु.नं. 30/2016 पेश किया जिसमें वाद पत्र की मद संख्या 13(1) में रिलीफ की मांग की ग्राम बुहाना स्थित जमीन गत खसरा नम्बर 611 व 612 व 631 से बने हाल खसरा नम्बर 1571, 1572, 1573, 1576 का नक्शा सन 1979—1980 के नक्शे को पुराना नक्शा सन 1936—1937 के अनुसार आकृति में बनाया जाकर नक्शे में बढ़ी हुई आकृति का खातेदार घोषित करते हुये नक्शा दुरूस्त किया जावे। मु.नं. 30/2016 दिनांक 03.05.2016 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 04.11.2016 को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः दर्ज किया गया। पुनः प्रकरण दर्ज होने के बाद दिनांक 27.09.2022 को अपीलान्ट ने मु.नं. 30/2016 में पक्षकार बनने के लिये आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने मु.नं. 30/2016 लंबित रहने के दौरान उसी रीलीफ के बाबत एक अन्य वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रतन सिंह दिनांक 11.10.2022 को पेश किया। दूसरा वाद पत्र मु.नं. 275/2022 पेश करने के बाद मु.नं. 30/2016 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने जरिये वकील दिनांक 07.02.2023 को मु.नं. 30/2016 को नोट प्रेस कर लिया एवं मु.नं. 275/2022 को पक्षकारान ने आपस में मिलकर 07.02.2023 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा ली। मु.नं. 30/2016 में अपीलान्ट ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा तथा गत खसरा नम्बर 631 रकबा 4 बिश्वा, गत खसरा नम्बर 90/3 रकबा 1 बीघा व गत खसरा नम्बर 91 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा के सहखातेदार इन्द्रसिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड थे उक्त विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा खातेदार इन्द्र सिंह ने प्रार्थी के दादा श्री गुल्लाराम को करीबन 70 साल पहले बतौर दान में दे दी थी क्योंकि प्रार्थी जाति से चमान (हरिजन) थे और उनको ग्राम मे बसाने के लिये श्री इन्द्र सिंह ने श्री गुल्लाराम को उपरोक्त कृषि भूमि दान में दी थी तथा तभी से प्रार्थी के दादा, पिता का इस भूमि पर कब्जा कर दिया था। जिसका गिरदावरी में भी सम्वत 2028 से 2032 प्रार्थी के पिता जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम के नाम से ही है। खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा पुख्ता भूमि पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण काबिज काश्त है उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण ने आवास हेतु अपने पुख्ता मकान बना रखे है इस प्रकार उक्त वाद वणित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने तथा वाद के पक्षकारान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से भूमि की किस्म रूपान्तरण नहीं करवा सकते है। विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा थे जिसके हाल खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.46 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 631, 612 के हाल खसरा नम्बर 1576 बने है। वाद वर्णित कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पिता श्री जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम ने माननीय न्यायालय उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

अधिकारी महोदय खेतड़ी मु.नं. 340/87 उनवान प्रकरण जोखीराम आदि बनाम मु. भगवानी देवी आदि बाबत घोषणात्मक लंबित था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय हाज द्वारा दिनांक 31.12.1987 को डिक्री करते हुये आदेश पारित किया कि जोखीराम, तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम जाति चमार निवासी बुहाना को ग्राम बुहाना तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में निर्णय के अनुसार अमल दरामद हो तथा तहसीलदार खेतड़ी को आदेश की प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। उक्त निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता श्री जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम को मालिक घोषित किया गया था। प्रकरण के पक्षकारान को उक्त निर्णय दिनांक 31.12.1987 की पूरी जानकारी थी इसके बावजूद वाद पक्षकारान ने आपसी मिलीभगत कर प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि को हड़पने के इरादे से बाला–बाला यह झूठा मुकदमा किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने दुसरे वाद पत्र मु.नं. 275/2022 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाने से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने बेईमानीपूर्वक आशय से अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि मु.नं. 275/2022 में अपीलान्ट आवश्यक एंव उचित पक्षकार था। मु.नं. 275/2022 के पक्षकारों ने आपस में दुर्भीसंधी करके उसी दिनांक 07.02.2023 को गलत तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई है। जमीन हाल खसरा नम्बर 1573 व 1576 पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 7 का कोई कब्जा नहीं है। प्रकरण में रिलीफ नक्शा दुरूस्ती की भी चाही गई है। नक्शा दुरूस्ती के प्रकरण में तहसीलदार (भू–अभिलेख) की जवाबदेही व मौके की रिपोर्ट कानूनन आवश्यक है। मौजुदा प्रकरण में तहसीलदार की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस कारण विचाराधीन निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है। जमीन हाल खसरा नम्बर 1573 व 1576 वाके ग्राम बुहाना गत खसरा नम्बर 612 मु.नं. 340/1987 के प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.1987 के मुताबिक अपीलान्ट का उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

जमीन पर हक व कब्जा है। प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। ईजाजत हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 07.02.2023 खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि भूमि गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा के हाल बन्दोबस्त ने नये खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.46 हैक्टेयर बनाये गये है लेकिन खसरा नम्बर 1573 का नक्शा आकृति में छोटा बना दिया गया उक्त नक्शा की आकृति उतर से दक्षिण 43 मीटर व पूर्व से पश्चिम 100 मीटर बनाई गई हैं जबकि 100 x 43 = 4300 वर्गमीटर क्षेत्रफल ही बनता है जबकि उक्त नक्शे की आकृति 106 x 43 वर्गमीटर होनी चाहिए थी साथ ही गत खसरा नम्बर 612 व 631 से हाल खसरा नम्बर 1576 रकबा 0.21 हैक्टेयर बनाया गया है अर्थात गत खसरा नम्बर 612 व 631 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 या इनके सह खातेदारों की नहीं थी इसके बावजूद इस भूमि से बनाये गये हाल खसरा नम्बर 1576 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व इनके सह खातेदारों के नाम दर्ज कर दी गई तथा खसरा नम्बर 1576 का नक्शा भी आकृति में बड़ा बना दिया गया इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग को नक्शा गलत आकृति में बनाने का कोई हक व अधिकारी नहीं था बन्दोबस्त विभाग की उक्त त्रुटि दुरूस्ती योग्य है। इससे अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक पूर्व वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम रतन सिंह मु.नं. 30/2016 पेश किया जिसमें वाद पत्र की मद संख्या 13(1) में रिलीफ की मांग की ग्राम बुहाना स्थित जमीन गत खसरा नम्बर 611

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * झुंझुनूं

व 612 व 631 से बने हाल खसरा नम्बर 1571, 1572, 1573, 1576 का नक्शा सन 1979–1980 के नक्शे को पुराना नक्शा सन 1936–1937 के अनुसार आकृति में बनाया जाकर नक्शे में बढ़ी हुई आकृति का खातेदार घोषित करते हुये नक्शा दुरूस्त किया जावे। मु.नं. 30/2016 दिनांक 03.05.2016 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 04.11.2016 को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः दर्ज किया गया। पुनः प्रकरण दर्ज होने के बाद दिनांक 27.09.2022 को अपीलान्ट ने मु.नं. 30/2016 में पक्षकार बनने के लिये आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने मु.नं. 30/2016 लंबित रहने के दौरान उसी रीलीफ के बाबत एक अन्य वाद पत्र उनवानी दशरथ सिंह बनाम रतन सिंह दिनांक 11.10.2022 को पेश किया। दूसरा वाद पत्र मु.नं. 275/2022 पेश करने के बाद मु.नं. 30/2016 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने जरिये वकील दिनांक 07.02.2023 को मु.नं. 30/2016 को नोट प्रेस कर लिया एवं मु.नं. 275/2022 को पक्षकारान ने आपस में मिलकर 07.02.2023 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा ली। मु.नं. 30/2016 में अपीलान्ट ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा तथा गत खसरा नम्बर 631 रकबा 4 बिश्वा, गत खसरा नम्बर 90/3 रकबा 1 बीघा व गत खसरा नम्बर 91 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा के सहखातेदार इन्द्रसिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड थे उक्त विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा खातेदार इन्द्र सिंह ने प्रार्थी के दादा श्री गुल्लाराम को करीबन 70 साल पहले बतौर दान में दे दी थी क्योंकि प्रार्थी जाति से चमान (हरिजन) थे और उनको ग्राम मे बसाने के लिये श्री इन्द्र सिंह ने श्री गुल्लाराम को उपरोक्त कृषि भूमि दान में दी थी तथा तभी से प्रार्थी के दादा, पिता का इस भूमि पर कब्जा कर दिया था। जिसका गिरदावरी में भी सम्वत 2028 से 2032 प्रार्थी के पिता जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम के नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

से ही है। खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा पुख्ता भूमि पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण काबिज काश्त है उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण ने आवास हेतु अपने पुख्ता मकान बना रखे है इस प्रकार उक्त वाद वणित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने तथा वाद के पक्षकारान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से भूमि की किस्म रूपान्तरण नहीं करवा सकते है। विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा थे जिसके हाल खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.46 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 631, 612 के हाल खसरा नम्बर 1576 बने है। वाद वर्णित कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पिता श्री जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खेतड़ी मु.नं. 340/87 उनवान प्रकरण जोखीराम आदि बनाम मु. भगवानी देवी आदि बाबत घोषणात्मक लंबित था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय हाज द्वारा दिनांक 31.12.1987 को डिक्री करते हुये आदेश पारित किया कि जोखीराम, तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम जाति चमार निवासी बुहाना को ग्राम बुहाना तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 612 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में निर्णय के अनुसार अमल दरामद हो तथा तहसीलदार खेतड़ी को आदेश की प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। उक्त निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता श्री जोखीराम व तेजाराम पुत्रान गुल्लाराम को मालिक घोषित किया गया था।

यहां यह भी विचारणीय है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को दुसरे वाद पत्र मु.नं. 275/2022 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाने से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि मु.नं. 275/2022 में अपीलान्ट आवश्यक एंव उचित पक्षकार था। मु.नं. 275/2022 के पक्षकारों ने आपस में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

दुर्भीसंधी करके उसी दिनांक 07.02.2023 को विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई है। प्रकरण में रिलीफ नक्शा दुरूस्ती की भी चाही गई है। नक्शा दुरूस्ती के प्रकरण में तहसीलदार (भू–अभिलेख) की जवाबदेही व मौके की रिपोर्ट कानूनन आवश्यक है। मौजुदा प्रकरण में तहसीलदार की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस कारण विचाराधीन निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाबदावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)